पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से नागरिकता का निर्माण

रूपमंजरी हेगड़े

नागरिकता शिक्षा को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नागरिकशास्त्र, नागरिकता शिक्षा या सक्रिय नागरिकता के लिए शिक्षा जैसे नामों से जाना जाता है। इसका उद्देश्य आमतौर पर विद्यार्थियों में ऐसे ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों का विकास करना होता है, जो उन्हें एक लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार करें। इसका शिक्षण अक्सर छोटे बच्चों में अपने कर्तव्यों, ज़िम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करता है ताकि वे प्रभावी रूप से राष्ट्रीय विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। उदाहरण के लिए, एनसीईआरटी की नागरिकशास्त्र की कुछ पाठ्यपुस्तकों (1975-2000) में, शिक्षार्थी को यह बात लगातार याद दिलाई जाती है कि वह अपने भीतर एक नागरिक के उपयुक्त गुणों को विकसित करे। जैसे कि विवेकपूर्ण आचरण, आपसी सहयोग और अपने साथी नागरिकों की चिन्ता। ऐसा करके वे अपने परिवार, समुदाय और वृहत समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं।

लेकिन व्यक्ति के लिए केवल एक नागरिक होना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि उसे कुछ अन्य गुणों को आत्मसात करके एक अच्छा नागरिक (एनसीईआरटी 1988:49) बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे : 'देश के नियमों' (पूर्वोक्त) का पालन करना, ख़ुद को 'देश की घटनाओं और समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से सूचित' रखना (एनसीईआरटी 2003:186), और राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देना – ताकि वह देश के लिए उपयोगी साबित हो सके। हालाँकि, इन पाठ्यपुस्तकों में शिक्षार्थियों को अपने 'अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सचेत रहने' (पूर्वोक्त) के लिए कहा गया है, लेकिन ज़ोर स्पष्ट रूप से उन कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों पर दिया गया है, जिन्हें आत्मसात करने की अपेक्षा उनसे की जाती है।

लेकिन किसी लोकतंत्र के भीतर नागरिकता सिर्फ़ *कर्तव्यों तक सीमित* नहीं होती, बल्कि उन *अधिकारों* का सवाल भी होती है जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है और जिनके तहत प्रत्येक नागरिक को उसके वर्ग, लिंग, धर्म, जाति और जातीय समूह की परवाह किए बग़ैर क़ानूनी दर्जा दिया जाता है। वह कई तरह के अधिकारों का हक़दार होता है और उससे यह अपेक्षा की जाती हो कि वह राष्ट्र के साथ तादात्म्य और अपनेपन की भावना विकसित करे (जयल 2013:2)। क्या एक पाठ्यपुस्तक, जिसे अलग तरह से तैयार किया गया हो, सोचने के उस तरीक़े में बदलाव ला सकती है जिस तरीक़े से राष्ट्र, नागरिकता और पहचान के विचारों की कल्पना की गई हो?

विद्वानों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (एनसीएफ़ 2005)[i] की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि इसमें बहुत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं (बत्रा 2010:13)। एनसीएफ़ में, यह तर्क दिया गया है कि नागरिकता शिक्षा मानवाधिकारों और आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में स्थित है और इसमें समता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को शामिल किया गया है ताकि हाशिए के समुदायों के दृष्टिकोणों को भी जगह मिले। 'भारतीय राष्ट्र की कल्पना करने के कई तरीक़ों' और लिंग सम्बन्धी सरोकारों पर ज़ोर देने की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं।

इस लेख में पर्यावरण अध्ययन (EVS) और सामाजिक विज्ञान की कुछ पाठ्यपुस्तकों जैसे *लुकिंग अराउंड* (कक्षा III-V) और *सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ़* (कक्षा VI-VIII) शृंखलाओं की पड़ताल की गई है। यह समझने की कोशिश की है कि इस तरह के नए दृष्टिकोणों को इन पाठ्यपुस्तकों में किस हद तक एक ठोस रूप दिया गया है।

पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से परिलक्षित होने वाले परिवर्तन केवल तभी सार्थक होते हैं, जब वे कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से बदलने में सक्षम हों। इसे शिक्षक के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा किया जा सकता है। इस लेख में इस बात की जाँच भी की गई है कि शिक्षकगण भविष्य के नागरिकों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं।

राष्ट्र की कल्पना करना

पाठ्यपुस्तकों में नागरिकता का निर्माण आमतौर पर यह दर्शाता है कि राष्ट्र की कल्पना कैसे की गई है। इस कल्पना के भीतर कौन वैध नागरिकों के रूप में शामिल है और कैसे? किन्हें छोड़ दिया गया है? ये प्रश्न एक समीक्षात्मक विश्लेषण की माँग करते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ़एसई) 2000, और इसका अनुसरण करने वाली अँग्रेज़ी और सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की

इस बात के लिए कड़ी आलोचना की गई कि इसमें एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान की बात की गई है जो कि बहुसंख्यकवाद और पितृसत्तात्मक थी, जिसने भारतीय समाज के बहुलवादी चरित्र को कमज़ोर कर दिया। इसके विपरीत एनसीएफ़ 2005, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव करता है जो 'हमारे समाज में निहित सांस्कृतिक बहुलवाद' के अनुकूल हो (NCF 2005:7) और जिसके परिणामस्वरूप एक मज़बूत लोकतांत्रिक राज्यतंत्र बना रहेगा (पूर्वोक्त)। इस प्रकार एनसीएफ़ धर्मनिरपेक्षता, समतावाद, बहुलवाद और सामाजिक न्याय के आदर्शों के आधार पर एक राष्ट्रीय पहचान की बात को दोहराता है।

लुकिंग अराउंड (एलए)[ii] और *सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ़ (एसपीएल)*[ii] शृंखला की सूक्ष्म पड़ताल से ऐसे समाज का पता चलता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों वाले लोग बसे हुए हैं। ये नागरिक देश के अलग-अलग क्षेत्रों और स्थानों के रहने वाले हैं जैसे मुम्बई जैसे महानगरों के (शान्ति की कहानी, एसपीएल III:67), आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जैसे परिनगरीय क्षेत्रों के (स्वप्ना की कहानी, एसपीएल II:105) मध्य प्रदेश के भीतरी इलाक़ों के (तवा मत्स्य संघ की कहानी, एसपीएल II:118), उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों के (दादू की कहानी, एसपीएल III:81-82) आदि। भोजन, कपड़ों और आवास की स्थापत्य परम्पराओं से सम्बन्धित क्षेत्रीय विशिष्टताओं को भी चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, *फूड वी ईट* (एलए I) शीर्षक पाठ में कश्मीर से केरल तक भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों की विविध खाद्य आदतों के बारे में बताया गया है। इसी पाठ्यपुस्तक के ए *हाउस लाइक दिस* नामक पाठ में भूपेन (असम), नसीम (श्रीनगर), चमेली (मनाली), कांशीराम (राजस्थान) और मिताली (दिल्ली) जैसे पात्र हैं जो एक-दूसरे को यह बता रहे हैं कि कैसे उनके घर स्थानीय पर्यावरण की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग तरीक़े से निर्मित किए गए हैं। ज़्यादातर उदाहरणों में लिखित विवरणों के साथ प्रासंगिक रंगीन चित्र भी दिए गए हैं ताकि बच्चे उन पाठों में दी गई जानकारियों की कल्पना कर सकें।

इन पाठ्यपुस्तकों में दिए गए सामाजिक-सांस्कृतिक विवरण भी बहु-धार्मिक हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की उपस्थिति से यह बात स्पष्ट हो जाती है, जैसे अनवरी एक मुसलमान धोबिन है (एलए III:26), मेलनी लोगों के घरों में काम करने वाली ईसाई महिला है (एसपीएल II:49) और जसप्रीत एक सिख उच्च मध्यम वर्गीय गृहिणी है (एसपीएल II:47)। इस प्रकार ये पाठ्यपुस्तकें भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक दायरे को समतलित और एक जैसे रूप में पेश करने की प्रवृत्ति को चुनौती देती हैं। वे भारतीय राष्ट्र के बहुलतावादी, विविध और बहु-सांस्कृतिक चरित्र को बनाए रखती हैं।

सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक विषमता

एनसीईआरटी की पहले की कुछ पाठ्यपुस्तकें (1975-2004) सांस्कृतिक विविधता को केवल शक्ति के स्रोत के रूप में चित्रित करती हैं और ऐसा करते हुए वे आर्थिक असमानता और सामाजिक-सांस्कृतिक असंगति की अनदेखी करती हैं। इसके विपरीत एलए और एसपीएल दोनों शृंखलाएँ सांस्कृतिक विविधता के बारे में समस्यात्मक दृष्टिकोण पेश करती हैं। विविधता के लाभों को इंगित करने के साथ-साथ इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि कैसे सामाजिक-आर्थिक भेदों से उत्पन्न विविधता अक्सर असमानता और भेदभाव की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, *फूड वी ईट* (एलए I:36-42) शीर्षक पाठ एक विचारोत्तेजक दृश्य के साथ शुरू होता है, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले बच्चों का एक समूह दिखाया गया है, जो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने पिछली रात को क्या खाया था। बच्चे 'पूरी, खीर, ऑमलेट' या 'मछली' या 'दाल-चावल' जैसे स्वादिष्ट भोजन के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक बच्चा बताता है उसने उन (बचे हुए) नूडल्स का आनन्द लिया जिन्हें उसकी माँ उस घर से लाई थी जहाँ वह काम करने जाती है। एक अन्य बच्ची बताती है कि उसके घर तो 'खाना ही नहीं बना था।' यह बातचीत न केवल सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालती है, बल्कि हमारे समाज में मौजूद कठोर आर्थिक असमानताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। इन दृश्यों के बाद विचारोत्तेजक प्रश्नों की एक शृंखला है, जिससे बच्चों को इस मुद्दे के साथ गहराई से जुड़ने का मौक़ा मिलता :

- *आपने चित्र में देखा होगा कि एक बच्ची के घर में खाना बना ही नहीं था। इसकी क्या वजह हो सकती है?*
- *क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको भूख लगी हो लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं हो? यदि हाँ तो क्यों?*

ये पाठ्यपुस्तकें ग्रामीण और शहरी स्थानों को दोहरे रूप में चित्रित नहीं करतीं। न तो उन्हें रमणीय स्थानों के रूप में दिखाती हैं और न ही कई समस्याओं से ग्रस्त बताती हैं। ये उन्हें वर्ग और जाति के पदानुक्रम द्वारा स्तरीकृत किए गए संघर्ष से भरे ऐसे स्थानों के रूप में दर्शाती हैं, जहाँ विभिन्न हित अपना हक़ पाने के लिए समझौते और संघर्ष करते हैं। चाहे वह शहरी सन्दर्भ हो या ग्रामीण, एलए और एसपीएल शृंखला में लोगों को विभिन्न सामाजिक स्तरों से सम्बन्धित दिखाया गया है, जिनकी आजीविका के प्रकार और जीवन जीने के

छोटू का घर, आस-पास, कक्षा तीन की पाठ्यपुस्तक, एनसीईआरटी 2006

स्तर बहुत विविध हैं। ये पाठ्यपुस्तकें इस बात पर भी प्रकाश डालती हैं कि कैसे इन दोनों सामाजिक क्षेत्रों में आम नागरिक एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके बुनियादी अधिकारों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं।

उदाहरण के लिए, एलए और एसपीएल शृंखला में कृषि समुदाय के बीच गहरा विखण्डन दिखाई देता है जिसमें ज़मीन के मालिक समृद्ध किसान (रामलिंगम, एसपीएल I:71), छोटे किसान (शेखर, एसपीएल I:70), और भूमिहीन खेतिहर मज़दूर (धनु, एलए II:200; तुलसी, एसपीएल I:68) हैं जो जीविकोपार्जन के लिए संघर्षरत हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मछली पकड़ने, बुनाई, पशुपालन और रक़म उधार देने (अध्याय 22, एलए II; अध्याय 8, एसपीएल I) जैसी विभिन्न ग़ैर-कृषि गतिविधियों पर निर्भर दिखाया गया है। किसान सरीखे ग्रामीण नागरिकों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है (शेखर, एसपीएल 1:70 फ़सल ठीक से न होना, ऋण और आत्महत्या), वे भी उजागर किए गए हैं।

एलए और एसपीएल शृंखला में शहरी परिदृश्य को न केवल गगनचुम्बी इमारतों, तेज़ गति से चलने वाले वाहनों के आवागमन, आलीशान अस्पतालों और शानदार ढंग से बनाए गए शॉपिंग मॉल के माध्यम से दर्शाया गया है, बल्कि इसमें श्रमिक वर्ग के अस्वास्थ्यकर इलाक़े, भीड़-भाड़ वाले सरकारी अस्पताल और सड़क के किनारे खुले बाज़ार भी दिखाए गए हैं। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों के लोग शहर का पारिस्थितिकी-तंत्र बनाते हैं। यहाँ, अत्यधिक सम्पन्न उद्योगपतियों, उच्च-मध्यम और मध्यम-वर्ग के सलाहकारों व सरकारी कर्मचारियों तथा निम्न-मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के लोगों (जैसे कारख़ानों के श्रमिक, सड़क के किनारे सामान बेचने वाले, लोगों के घरों में काम करने वाले, कारीगर, रिक्शा वाले, दिहाड़ी मज़दूर व बेघर, सड़क पर भटकते बच्चों) को साथ में रहते हुए दिखाया गया है। शहरी लोगों को अपनी अलग तरह की समस्याओं के साथ संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। जैसे कि रहने के अस्वच्छ हालात (कान्ता की कहानी, एसपीएल II:4-5), पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी (नन्दिता कम्स टु मुम्बई, एलए कक्षा IV; चेन्नई के नागरिकों के मामलों का अध्ययन, एसपीएल III:106-107) के साथ ही घर न होने की समस्या (छोटू का घर, एलए, कक्षा III)।

लिंग सम्बन्धी सरोकारों को सामने रखना

वैसे तो एनसीईआरटी की नागरिकशास्त्र की जो पाठ्यपुस्तकें पहले थीं (2002-2004), उनमें दोनों लिंगों का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से किया गया है। लेकिन उनमें दिए गए चित्र श्रम के विभाजन के सम्बन्ध में कुछ रूढ़िबद्ध सामाजिक धारणाओं को मज़बूत करते हैं। सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पण्डित (एनसीईआरटी 2003:176) जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों को छोड़ दें तो इन पाठ्यपुस्तकों (एनसीईआरटी 1987; एनसीईआरटी 2002) में महिलाओं को मुख्यतः एक पोषणकर्ता और देखभाल करने वाली के रूप में दिखाया गया है (गृहिणी, नर्स)।

एलए और एसपीएल शृंखला में हम महिलाओं को पुरुषों के साथ समान मंच साझा करते हुए पाते हैं। पण्डिता रमाबाई और रुकैया सखावत हुसैन जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों के योगदान पर तो चर्चा है ही, लेकिन साथ ही, कुछ सफल महिलाओं की उपलब्धियों से परे जाने का विशेष प्रयास भी किया गया है। ये पाठ्यपुस्तकें विभिन्न सामाजिक समूहों से सम्बन्धित सामान्य महिलाओं के उदाहरणों से भरी हुई हैं जो न सिर्फ़ परिवार की आय में, बल्कि समुदाय और राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। उन्हें न केवल अपनी पारम्परिक, देखभाल करने वाली गृहिणी की भूमिका में दिखाया गया है – (शबनम बानो, एसपीएल II:5), बल्कि परिवार के कमाऊ सदस्यों के रूप में भी दिखाया गया है। जैसे हाथ से मैला ढोने वाली (एलए III:147; एसपीएल III:101), मछुआरिन (अरुणा, एसपीएल I:73), घरेलू सहायिका (एलए I:83; मेलनी, एसपीएल II:49), धोबन (अनवरी, एलए I:27), मधुमक्खी-पालक (अनीता, एलए III:38) और कारख़ाने की मज़दूर (एसपीएल II:109)। उन्हें शिक्षिकाओं (मनजीत कौर, एसपीएल II:4), सरकारी कर्मचारियों (यास्मीन, एसपीएल I:57), व्यावसायिक उद्यमियों (वन्दना, एसपीएल I:80-81) और वकीलों (कमला रॉय, एसपीएल III:69-70) के रूप में कई व्यवसायों में काम करते हुए भी दिखाया गया है।

कई कहानियों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को होने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है। यहाँ, आय के अनियमित स्रोत और कम आमदनी के कारण पीड़ित तुलसी जैसी भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों तथा कारख़ानों में अनियमित आधार पर काम करके नाज़ुक स्थिति का सामना कर रही निर्मला जैसी महिला-श्रमिकों की कहानियों का उल्लेख करना आवश्यक है।

एसपीएल शृंखला में पाठकों को यह अवसर दिया गया है कि वे यह समझ सकें कि लिंग सम्बन्धी रूढ़िवादिता एक सामाजिक रचना है। लिंग रूढ़िवादिता और गृहिणी व देखभाल करने वाली के रूप में महिलाओं का अवमूल्यन समाज में विभिन्न स्तरों और समुदायों में मौजूद है। इस तथ्य पर जसप्रीत, जो एक उच्च-मध्यम वर्गीय गृहिणी है (एसपीएल II:47-48) की कहानी और मेलनी, जो एक घरेलू सहायिका है, के जीवन अध्ययन (एसपीएल II:49) के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। घर के कामों की गरिमा और उसके महत्त्व पर ज़ोर देने का भी प्रयास है। उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक पाठ्यपुस्तक में एक लड़की दीपाली (वर्क वी डू, एलए I:83) की कहानी है। वह एक सब्ज़ी विक्रेता और घरेलू सहायिका की सबसे बड़ी सन्तान है। दीपाली पर खाना पकाने और घर की सफ़ाई करने से लेकर अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने तक की ज़िम्मेदारी है, वहीं उसके माता-पिता गुज़र-बसर करने के संघर्ष में लगे रहते हैं। इस प्रकार यह कहानी बड़े सूक्ष्म लेकिन मज़बूत ढंग से जीवन की कठोर वास्तविकताओं की ओर ध्यान दिलाती है और यह बताती है कि ग़रीबी के कारण अक्सर लड़कियाँ स्कूल व पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

ये पाठ्यपुस्तकें आगे इस मुद्दे पर भी चर्चा करती हैं कि पुरुषों के विपरीत महिलाओं को घर के काम-काज और रोज़गार के दोहरे बोझ को उठाना पड़ता है। इस मामले में हरियाणा और तमिलनाडु (एसपीएल II:50) में किए गए एक सर्वेक्षण का ज़िक्र किया गया है। घरेलू हिंसा (कुसुम और शाज़िया की कहानी, एसपीएल III:46-48) और दहेज के कारण होने वाली मौतों (सुधा गोयल की केस-स्टडी, एसपीएल III:58) जैसे लिंग आधारित भेदभाव के उदाहरणों का सन्दर्भ भी दिया गया है।

नागरिकता का निर्माण

ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया है कि कैसे पहले की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों (1975-2004) में नागरिकता कर्तव्यों की धारणा पर टिकी हुई थी और अधिकारों के सवाल को कम महत्त्व दिया गया था। यह इस बात से स्पष्ट है कि शिक्षार्थी को बार-बार यह याद दिलाया जाता है कि उसे *उचित गुणों* का विकास करना चाहिए ताकि वह राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके और इस प्रकार एक ज़िम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सके।

इसके अलावा, इन पाठ्यपुस्तकों में राज्य को हमेशा एक अखण्ड, पितृतुल्य और परोपकारी संरचना के रूप में चित्रित किया गया है जो नागरिकों की भलाई का ध्यान रखता है। इनमें राज्य-तंत्र के काम-काज में होने वाली ऐसी किसी भी सम्भावित चूक/अनाचार के बारे में या इस तरह की कमियों को सरकार द्वारा लोकतांत्रिक तरीक़े से कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा की बहुत कम गुंजाइश है।

सामाजिक विषमता को चुनौती

एसपीएल शृंखला में, नागरिकता को नागरिक के अधिकारों के ढाँचे के भीतर परिभाषित किया गया है। यहाँ पर नागरिकता को केवल राजनीतिक अधिकारों (अधिकार जो लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को समान के रूप में मतदान करने में सक्षम बनाते हैं चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो) के सन्दर्भ में परिभाषित करने से परे जाने का प्रयास किया गया है। बल्कि, यह इस समानता को नागरिकों की ज़िन्दगियों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता के भीतर रखकर उसके आधार पर ही प्रश्न उठाता है क्योंकि उनकी ज़िन्दगियाँ विभिन्न प्रकार की असमानताओं और अन्तरों से भरी पड़ी

हैं। उदाहरण के लिए, एक पाठ्यपुस्तक में एक ऐसी कहानी है जिसमें विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों के नागरिकों (एक शिक्षक, एक घरेलू सहायिका, एक सलाहकार, एक उद्योगपति) को किसी मतदान केन्द्र के सामने एक क़तार में खड़े हुए दिखाया गया है, जो यह बताता है कि नागरिकों के रूप में सभी की स्थिति समान है। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतता है, घरेलू सहायिका कान्ता यह समझ जाती है कि यद्यपि वह अपने नियोक्ता, एक अमीर उद्योगपति श्री जैन के साथ एक ही क़तार में खड़ी होकर अपना वोट डाल सकती है, लेकिन उनके बीच अन्तरों की एक गहरी खाई है। अपने नियोक्ताओं के विशाल अपार्टमेंट के विपरीत, कान्ता को एक बेहद अस्वच्छ परिवेश की एक मलिन झुग्गी में रहते हुए दिखाया गया है और वह अपनी बीमार नाबालिग बेटी को घर पर अकेला छोड़कर काम पर जाने के लिए मजबूर है। अपना काम पूरा करने और अपने नियोक्ता से कुछ पैसे उधार लेने के बाद ही शाम को जाकर वह अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जा पाती है। वह सोचने लगती है, "भले ही हम वोट देने के लिए एक ही क़तार में खड़े हो जाएँ, लेकिन क्या हम वास्तव में बराबर हैं?" (एसपीएल II:4-6)।

हमारे समाज में मौजूद इन्हीं असमानताओं की पृष्ठभूमि में ये पाठ्यपुस्तकें उन नागरिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं जो मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान में निहित हैं। पाठ्यपुस्तकों में विशेष रूप से समानता के अधिकार (अनुच्छेद 15) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का ज़िक्र किया गया है। कई लोगों के मामलों के अध्ययन के माध्यम से ये पाठ्यपुस्तकें यह दिखाने का प्रयास करती हैं कि जब इन अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये न केवल सामाजिक असमानताओं को चुनौती दे सकते हैं बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये पाठ्यपुस्तकें आगे इस बात पर भी प्रकाश डालती हैं कि हालाँकि, संविधान में अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, लेकिन नागरिकों के लिए अपने अधिकारों का आसानी से प्रयोग कर पाना हमेशा सम्भव नहीं हो पाता। बल्कि, इन अधिकारों को व्यक्तियों, समूहों, संस्थानों और यहाँ तक कि राज्य द्वारा भी बार-बार चुनौती दी जाती है, उनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं और उनका अतिक्रमण किया जाता है। अधिकांश मामलों में यह भी देखा जाता है कि नागरिकों को कुछ सामाजिक भेदभावों का सामना करना पड़ता है, जो या तो जाति-आधारित होते हैं (बीआर अम्बेडकर, एसपीएल:19-20 और ओम प्रकाश वाल्मीकि, एसपीएल II:7-8 की कहानियाँ) या लिंग-आधारित (जसप्रीत की कहानी, एसपीएल II:47-48) और या धर्म-आधारित (अंसारियों की कहानी, एसपीएल II:8)। इनमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जहाँ नागरिक की आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण समाज के अधिक सम्पन्न और शक्तिशाली वर्गों द्वारा उसका शोषण किया जा सकता है (भूमिहीन मज़दूर ओम प्रकाश की कहानी, एसपीएल I:44-45)।

राज्य को जवाबदेह ठहराना

एसपीएल पाठ्यपुस्तकों में ऐसे कई उदाहरण भी हैं जो विभिन्न सरकारी विभागों के काम-काज में उन ख़ामियों की बात करते हैं, जिनके परिणामस्वरूप नागरिक अपने वैध अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। कुछ कहानियाँ स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा जानबूझकर किए गए कुछ कार्यों और उत्साहहीन रवैये को दर्शाती हैं (जैसे कारख़ाने के श्रमिकों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की विफलता, भोपाल गैस त्रासदी पर फोटो-निबन्ध, एसपीएल III:124-127)। कुछ मामलों में यह भी दर्शाया गया है कि कैसे राज्य नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिए जानबूझकर उपाय करता है (जैसा कि वनवासियों के मामले में, तवा मत्स्य संघ की कहानी, एसपीएल II:117-119)।

अधिकारों को पुनः प्राप्त करना

इन पाठ्यपुस्तकों के बारे में असाधारण बात यह है कि यहाँ नागरिकता का निरूपण सिर्फ़ नागरिकों के अधिकारों के बारे में चर्चा करने तक या व्यक्तियों और समूहों को इस तरह के अधिकारों से कैसे वंचित किया जाता है, यह बताने तक सीमित नहीं है। बल्कि, इनमें की गई चर्चा इस बात की सम्भावनाओं को दिखाती है कि इस तरह के अधिकारों को कैसे हासिल किया जाए और छिन जाने पर पुनः हासिल किया जाए। सामाजिक वर्ग कोई भी हो, कई नागरिक अपनी क्षमता का उपयोग करते दिखाए गए हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं को अपने अधिकार अलग-अलग तरीक़ों से पुनः प्राप्त करते हुए दिखाया गया है – प्रचलित सामाजिक मानदण्डों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हुए (रमाबाई, एसपीएल II:59) या अपनी तीव्र इच्छाशक्ति के बल पर अपनी आकाँक्षाओं को पूरा करते हुए (लक्ष्मी लकरा, एसपीएल II:57)। ऐसे उदाहरण भी दिखाए गए हैं जहाँ नागरिक क़ानूनी सहायता लेते हैं और पुलिस जैसे विभिन्न राज्य संस्थानों को हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं (मोहन की कहानी, जिसने अपनी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की (एसपीएल I:49-50)। जब उनके अधिकारों का हनन होता है तो वे न्यायपालिका के पास भी जाते हैं। यहाँ पर एक कृषि मज़दूर हाकिम शेख़ के मामले पर ध्यान दिलाना आवश्यक है, जो एक गम्भीर दुर्घटना के बाद सरकारी अस्पतालों के ख़िलाफ़ अदालत में मामला दायर करते हैं क्योंकि इन अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इन्कार कर दिया था (एसपीएल II:21)।

सामूहिक कार्रवाई

इन पाठ्यपुस्तकों में, नागरिकों द्वारा सहकारी समितियों के गठन और सामाजिक आन्दोलन चलाने जैसी सामूहिक कार्रवाइयों को भी अपने मौलिक अधिकारों को फिर से हासिल करने का एक और सही तरीक़ा माना गया है। ये पाठ्यपुस्तकें सामाजिक भेदभाव के ख़िलाफ़ समाज के शिक्षित मध्य या उच्च-मध्य वर्गों द्वारा किए गए संघर्षों का भी हवाला देती हैं (उदाहरण के लिए, घरेलू हिंसा अधिनियम को पारित करने के लिए लॉयर्स कलेक्टिव और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए योगदान पर कहानी, एसपीएल III:46-48)। लेकिन, कई स्थानों पर ऐसे सामूहिक मोर्चे की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो आम नागरिकों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए हैं। इन लोगों को सार्वजनिक रैलियों और विरोध जुलूसों में भाग लेते हुए, सार्वजनिक सुनवाई करते हुए, धरनों पर बैठे हुए और नाटक, गीत व रचनात्मक लेखन जैसे नूतन साधनों का प्रयोग करके अपना असन्तोष व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। इन पाठ्यपुस्तकों में दिए गए कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं तवा मत्स्य संघ (एसपीएल II:118) द्वारा मध्य प्रदेश में विस्थापित वनवासियों को उनकी आजीविका का अधिकार पुनः दिलाने के लिए किया गया संघर्ष, और समान नागरिकता अधिकारों को वापस हासिल करने के लिए महिलाओं का आन्दोलन (एसपीएल II:63-67)।

वैसे नागरिकों को हमेशा जीतते हुए नहीं दिखाया गया है। बल्कि, ये पाठ्यपुस्तकें नागरिकों को लड़ने की भावना से प्रेरित करती हैं और इस बात को स्पष्ट करती हैं कि किसी भी प्रकार के अन्याय और असमानता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना न्यायोचित है और लोकतंत्र की भावना के हक़ में है। ये सब इस बात का प्रतीक हैं कि इन पाठ्यपुस्तकों में नागरिकता और नागरिकता शिक्षा की अवधारणा के दृष्टिकोण में निश्चित रूप से बदलाव आया है।

शिक्षक की भूमिका

ये पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय कल्पना में नागरिकता की प्रकृति की रूपरेखा बता सकती हैं, लेकिन महत्त्वपूर्ण बात है कक्षा में विद्यार्थियों के लिए उस दृष्टि को स्पष्ट करने में शिक्षक की भूमिका। सबसे पहले तो यह बेहद महत्त्वपूर्ण है कि शिक्षक कक्षा के भीतर ऐसा वातावरण बनाएँ जहाँ विद्यार्थी किसी भी मुद्दे पर अपने विचारों और सोच को बेझिझक साझा कर सकें। ऐसा करने के पीछे यह विचार है कि एक ऐसी लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण किया जाए जहाँ बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों को निडरता के साथ और खुलकर व्यक्त कर सकें, जहाँ उन्हें चुप न कराया जाए या उनके बारे में कोई राय न बना ली जाए।

शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें कि वे पढ़ाए जा रहे विषय से सम्बन्धित ऐसे प्रासंगिक स्थानीय उदाहरणों को सामने रखें जो उनके अनुभवों पर आधारित हों।

महिलाएँ दुनिया बदलती हैं, एसपीएल II, एनसीईआरटी, 2007

इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से परे ले जाएँ। इस तरह के अभ्यास न केवल कक्षा में होने वाली चर्चाओं को समृद्ध करेंगे बल्कि विद्यार्थियों को तथ्यों को रट लेने की आदत से बाहर निकालने से भी अन्ततः उनका सीखना मज़बूत होगा।

शिक्षक के लिए यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि बच्चे केवल पाठ्यपुस्तक से ही नहीं बल्कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित कई अन्य स्रोतों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए, यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि शिक्षक प्रासंगिक स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जागरूक रहें और जब भी आवश्यक हो, इन मुद्दों पर चर्चाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को इनसे जोड़े रख सकें।

एसपीएल की एक पाठ्यपुस्तक में बताया गया है (शिक्षकों के लिए आरम्भिक टिप्पणी, एसपीएल III) कि यह शृंखला विशेष रूप से जाति, लिंग, वर्ग और धर्म पर आधारित असमानता के विशिष्ट रूपों के बारे में ख़ासतौर पर विचार करती है और इस बात की पूरी सम्भावना है कि कक्षा में ऐसे भेद नज़र आएँ। इस सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों के लिए यह बात और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते समय वे अपेक्षित संवेदनशीलता दिखाएँ।

निष्कर्ष

पाठ्यपुस्तकें ऐसी सांस्कृतिक उपकरण हैं जो राष्ट्र की सामूहिक कल्पना को आकार देती हैं। एनसीएफ़ 2005 की शुरुआत के बाद आने वाली *लुकिंग अराउंड* शृंखला और *सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ़* पाठ्यपुस्तकों ने सफलतापूर्वक इस बात का नमूना सामने रख दिया है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के मुताबिक़ नागरिकता शिक्षा की कल्पना कैसे की जानी चाहिए। जैसा कि उपर्युक्त विश्लेषण से ज़ाहिर होता है, कि इन पुस्तकों में जिस तरह से राष्ट्र की कल्पना की गई है, लैंगिक सरोकारों को सामने रखा गया है और नागरिकता का सृजन मानव अधिकारों के ढाँचे के भीतर किया गया है – उससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। अब देखना यह है कि शिक्षक की मध्यस्थता से, इन विचारों को कक्षा के भीतर कैसे पेश किया जाता है।

[i] कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन या यूपीए सरकार (2004-2014) के दौरान एनसीएफ़ 2005 को क्रियान्वित किया गया और यह 2014 (जब शासन में परिवर्तन हुआ) के बाद भी जारी रहा है।

[ii] *लुकिंग अराउंड* और *सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ़* पाठ्यपुस्तकों को इसके बाद से क्रमशः एलए और एसपीएल कहा जाएगा।

References

Advani, Shalini. 2009. *Schooling the National Imagination: Education, English and the Indian Modern*. New Delhi: Oxford University Press.

Batra, Poonam. 2010. *Social Science Learning in Schools: Perspectives and Challenges*. New Delhi: Sage Publications.

Bhog, Dipta (Ed.). 2010. *Textbook Regimes: An Overall Analysis*. New Delhi: Nirantar.

Jain, Manish. 2004. 'Civics, Citizen and Human Rights: Civics Discourse in India', *Contemporary Education Dialogue*, 1(2): 165-198.

Jayal, Niraja Gopal. 2013. *Citizenship and its Discontents: An Indian History.* Ranikhet: Permanent Black

NCERT textbooks mentioned in the text:

- *National Curriculum Framework for School Education*. 2000. NCERT: New Delhi
- *National Curriculum Framework*. 2005. NCERT: New Delhi

रूपमंजरी हेगड़े ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 'शिक्षा का समाजशास्त्र' विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और कक्षा-शिक्षण पद्धतियाँ उनके शोध के क्षेत्र रहे हैं। वर्तमान में वे I Am A Teacher (गुरुग्राम) की संकाय सदस्य हैं, जो शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक ग़ैर-लाभकारी संगठन है। उन्हें शिक्षा क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव हासिल है। उन्होंने IDiscoveri Education (गुरुग्राम), और NEEV (नई दिल्ली) जैसे संगठनों में कोर टीम की सदस्य के रूप में सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन में प्रयोगात्मक कक्षाओं को विकसित करने के लिए शिक्षण की रूपरेखा और आकलन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है। रूपमंजरी भूटान के लिए 'राष्ट्रीय शैक्षिक ढाँचा' विकसित करने वाली एक परियोजना का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उनसे rupamanjarihegde@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : नलिनी रावल